कार्य बल में महिलाओं की संख्या उनकी क्षमता से बहुत कम है: राष्ट्रपति कोविंद

तिरुवनंतपुरम ■ एजेंसियां/डेस्क

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को कहा कि गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण कार्यबल में महिलाओं का अनुपात उनकी क्षमता के मुकाबले बहुत कम है और ऐसा पूरी दुनिया में है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग के बीच राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विभिन्न कार्यकारी निकायों में महिलाओं का और प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के तहत यहां केरल विधानसभा में आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि 1857 के बाद से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने ''अहम भूमिका'' निभाई है और ब्रितानी शासन के खिलाफ कई प्रदर्शन उनकी व्यापक भागीदारी के कारण सफल हुए। कोविंद ने रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू समेत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कई महिला नेताओं के बलिदान एवं योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद से महिलाएं एक के बाद एक हर क्षेत्र में अवरोधकों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं।

उन्होंने जिक्र किया कि जब राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने लिए संविधान सभा एकत्र हुई थी, तो उसमें 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें तीन केरल से थीं। कोविंद ने कहा, ''विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और प्रबंधन जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष के गढ़ों में उनकी (महिलाओं की) संख्या बढ़ रही है।'' उन्होंने कोरोना वायरस संकट का जिक्र करते हुए कहा, ''संकट के उन महीनों में राष्ट्र की रक्षा करने वाले कोरोना योद्धाओं में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं रही होंगी।

आबादी के लगभग आधे हिस्से- महिलाओं के लिए ऐसी उपलब्धियां आम बात होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। कोविंद ने कहा, हमें स्वीकार करना होगा कि वे गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों का शिकार हैं। कार्य बल में उनकी संख्या उनकी क्षमता से बहुत कम है। राजनीति में भी आपको और अधिक संख्या में चुनाव लड़ना और जीतना चाहिए। यह दुखद स्थिति निश्चित रूप से पूरी दुनिया में है। इस मामले को वैश्विक परिदृश्य में देखने से हमें यह एहसास करने में मदद मिलती है कि हमारे सामने मानसिकता को बदलने की चुनौती है- यह एक ऐसा काम है, जो कभी आसान नहीं रहा।

कोविंद ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम ने भारत में लैंगिक समानता के लिए एक ठोस नींव रखी और तब से देश पहले ही एक लंबा सफर तय कर चुका है, लोगों की मानसिकता में कुछ बदलाव आया है और तीसरे लिंग एवं अन्य लैंगिक पहचानों समेत लैंगिक संवेदनशीलता भी बढ़ी है। उन्होंने कहा, ''हमारे आदर्शों और मूल्यों से प्रेरित होकर हम इन सात दशकों में और आगे बढ़े हैं और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।मुझे लगता है कि इसे 'महिला सशक्तीकरण' कहना गलत है, क्योंकि महिलाएं वैसे भी शक्तिशाली हैं। क्या हम यह नहीं कहते कि वे 'शक्ति' का प्रतीक हैं।

कोविंद ने कहा, ''यदि राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी बेहतर भागीदारी किसी भी तरीके से सशक्तीकरण है, तो यह पूरे समाज का सशक्तीकरण है, क्योंकि आप सभी शासन में गुणवत्ता लाती हैं, आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं।'' इस कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एम बी राजेश, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीसन, वाम सरकार के कई मंत्री और देश भर की महिला विधायक भी शामिल हुईं।

खान ने इस मौके पर कहा कि अब समय आ गया है कि हम ''महिलाओं के विकास से आगे सोचें और महिला नीत विकास की ओर आगे बढ़ें।'' उन्होंने कहा कि आजादी के सात दशक के बाद भी यह विडंबना है कि अब भी ऐसे लोग हैं, जो दमन को पसंद करते हैं और महिलाओं पर ''पितृसत्तात्मक प्रतिबंध'' लगाकर उन्हें हाशिए पर रखना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को माना प्रोफेशन, पुलिस को दिये सख्त निर्देश

नई दिल्ली ■ एजेंसियां/डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस को सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बता दें कोर्ट ने सेक्स वर्क को प्रोफेशन मानते हुए कहा कि पुलिस को वयस्क और सहमति से सेक्स वर्क करने वाले महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा के हकदार हैं।

बता दें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की बेंच ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में 6 निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेक्स वर्कर्स भी कानून के समान संरक्षण के के हकदार हैं। बेंच ने कहा, जब यह साफ हो जाता है कि सेक्स वर्कर वयस्क है और अपनी मर्जी से यह काम कर रही है, तो पुलिस को उसमें हस्तक्षेप करने और आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब भी पुलिस छापा मारे तो सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या परेशान न करे, क्योंकि इच्छा से सेक्स वर्क में शामिल होना अवैध नहीं है, सिर्फ वेश्यालय चलाना गैराकानूनी है। वहीं कोर्ट ने कहा, एक महिला सेक्स वर्कर है, सिर्फ इसलिए उसके बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए। मौलिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को भी है। अगर नाबालिग को वेश्यालय में रहते हुए पाया जाता है, या सेक्स वर्कर के साथ रहते हुए पाया जाता है तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चा तस्करी करके लाया गया है। साथ ही कोर्ट ने कहा, अगर किसी सेक्स वर्कर के साथ यौन उत्पीड़न होता है, तो उसे कानून के तहत तुरंत मेडिकल सहायता समेत यौन हमले की पीड़िता को उपलब्ध होने वाली सभी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा, यह देखा गया है कि सेक्स वर्कर्स के प्रति पुलिस क्रूर और हिंसक रवैया अपनाती है। यह इस तरह है कि एक ऐसा वर्ग भी है, जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं मिली है। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सेक्स वर्कर के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए कोर्ट ने कहा, सेक्स वर्कर्स को भी नागरिकों के लिए संविधान में तय सभी बुनियादी मानवाधिकारों और अन्य अधिकारों का हक है। बेंच ने कहा, पुलिस को सभी सेक्स वर्कर्स से सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए और उन्हें मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और न ही उन्हें किसी भी यौन गतिविधि के लिए मजबूर करना चाहिए।

तमिल को मिले हिन्दी समान अधिकार: सीएम स्टालिन

नई दिल्ली ■ एजेंसियां/डेस्क

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को तमिल को हिंदी के समकक्ष बनाने की वकालत की और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भारत सरकार के कार्यालयों और मद्रास उच्च न्यायालय में भाषा को आधिकारिक बनाने के लिए कहा। इस पर पीएम मोदी ने भी उसी मंच से जवाब दिया। पीएम ने कहा कि तमिल भाषा शाश्वत है और तमिल संस्कृति वैश्विक है। दरअसल, दोनों ने चेन्नई में एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान मंच साझा किया।

2021 के विधानसभा चुनाव के बाद स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रविड़ मुनेत्र कड़गमसीएम स्टालिन ने कहा कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठाएंगे। हमारी भाषा तमिल को भी हिंदी की तरह समान अधिकार मिले, औपचारिक भाषा की मान्यता मिले। हम पर हिंदी न थोपी जाए। नीट को खत्म किया जाए। एमके स्टालिन ने ये भी कहा कि हम नीट परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और हमने विधानसभा में एक विधेयक भी पारित किया है। हम पीएम से तमिलनाडु को नीट परीक्षा से छूट देने की अपील करते हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री स्टालिन ने पीएं मोदी के सामने कुछ मांगें रखीं जिसमें श्रीलंका से कच्चातीवु द्वीप की पुनर्प्राप्ति और एनईईटी छूट विधेयक को मंजूरी शामिल है। स्टालिन ने मोदी से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि केंद्र सरकार 14,006 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाया को मंजूरी दे और जीएसटी मुआवजे का विस्तार करे।

सत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार दक्षिणी राज्य का दौरा कर रहे हैं। चेन्नई में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, स्टालिन ने राज्य में अपनाए जाने वाले द्रविड़ मॉडल के बारे में बात की।

मोदी सरकार ने आठ वर्षों में युवाओं, किसानों, जवानों समेत सभी वर्गों के साथ छल किया: कांग्रेस

नई दिल्ली ■ एजेंसियां/डेस्क

कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गत आठ वर्षों के अपने कार्यकाल में युवाओं, किसानों, शस्त्र बलों के जवानों, छोटे व्यापारियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य सभी वर्गों के साथ छल किया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के आठ साल पूरे होने के मौके पर ₹आठ साल-आठ छल, भाजपा सरकार विफल₹ शीर्षक वाली एक पुस्तिका भी जारी की। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने महासचिव अजय माकन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, "नारा दिया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन मोदी आये तो महंगे दिन लाये। किसानों की आमदनी भी नहीं हुई दोगुना, बल्कि उन्हें दर्द मिला सौ गुना। उन्होंने दावा किया, ₹मोदी आये तो मंदी के दिन लेकर आए।

अब अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म उतर चुकी है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं पर से ध्यान भटकाने के लिए अब छल, कपट, झूठ और नफरत का सहारा ले रही है।

कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने महंगाई का उल्लेख करते हुए कहा कि अच्छे दिनों का वादा करने वाली सरकार के कार्यकाल में रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये से अधिक और सरसों का तेल 200 रुपये से अधिक कीमत पर मिल रहा है। माकन ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के आठ वर्ष सिर्फ 'कुशासन' और वादाखिलाफी के लिए जाना जाएंगे। कांग्रेस ने जो पुस्तिका जारी की है उसमें सरकार के 'छल' का विस्तृत उल्लेख करते हुए आंकड़ों के साथ उस पर निशाना साधा गया है।

पेट्रोल, डीजल और कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए कांग्रेस ने इस पुस्तिका में कहा, ''पहला छल "भाजपा है, तो महंगाई है!" जनता लुट रही है, पिट रही है, आय घट रही है, और भाजपा की अहंकारी सत्ता में डायन महंगाई अब "घर जमाई" बन गई है। उसने कहा, दूसरा छल यह है कि सबसे युवा देश को बेरोज़गारी व अनपढ़ता के अंधकार में झोंका! हम दुनिया के सबसे युवा देशों में है। बेरोज़गारी देश के युवा की सबसे बड़ी बेज़ारी है। गुण है, क्षमता है, उमंग है, जज़्बा है, पर रोजगार नहीं है।

कांग्रेस ने दावा किया, सरकार का तीसरा छल 'अर्श से फर्श के आठ वर्ष- गर्त में अर्थव्यवस्था' है। मोदी सरकार में एक डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 77.81 रुपये के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। आजादी के बाद 67 वर्षों में सभी सरकारों ने मिलकर 55 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया, लेकिन मोदी सरकार में यह कर्ज बढ़कर 135 लाख करोड़ रुपये हो गया। उसका कहना है, सरकार ने चौथा छल किसानों के साथ किया है।

देश में 2020 में चिकित्सकीय प्रमाणित मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण कोविड था: रिपोर्ट

नई दिल्ली ■ एजेंसियां/डेस्क

देश में वर्ष 2020 में चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित की गईं, 18,11,688 लोगों की मौत में से 1,60,618 लोगों की जान जाने की वजह कोविड-19 महामारी थी। चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित मौतों की श्रेणी में कोविड-19 को मृत्यु के तीसरे सबसे बड़े कारण के रूप में दर्ज किया गया।

भारत के महापंजीयक कार्यालय से बुधवार को जारी मृत्यु के कारणों की चिकित्सकीय प्रमाणीकरण रिपोर्ट-2020 में यह भी कहा गया है कि चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित मौत के मामलों में 42 प्रतिशत का कारण हृदय रोग सहित परिसंचरण तंत्र, दमा, निमोनिया संबंधी बीमारियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 से 1,60,618 लोगों की मौत हुई जो इस श्रेणी में कुल मामलों का 8.9 प्रतिशत है। इसमें पुरूषों की संख्या 1,14,217 और महिलाओं की संख्या 46,401 थी। इसमें कहा गया है कि चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित, कोविड के कारण मौत के सबसे अधिक, 17.7 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र में दर्ज किये गए। वहीं, चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित, कोविड के कारण कुल मौतों में मणिपुर में 15.5 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 15 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 13.5 प्रतिशत, उत्तराखंड में 12.8 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 12 प्रतिशत, पंजाब में 11.9 प्रतिशत, दिल्ली में 10.8 प्रतिशत मामले दर्ज किये गए। रिपोर्ट के अनुसार, इस श्रेणी में वर्ष 2020 में अरूणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित मौतों में परिसंचरण तंत्र से जुड़ी बीमारियों के कारण 5.80 लाख लोगों की जान गई, जिसमें हृदय रोग शामिल है। वहीं, श्वसन प्रणाली से जुड़े रोगों के कारण 1.81 लाख लोगों की मौत हुई। गौरतलब है कि नौ मार्च 2022 को राज्यसभा में अबीर रंजन बिस्वास के प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने बताया था कि 9 मार्च की स्थिति के अनुसार, देश में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिली सूचना के अनुरूप कोविड-19 के कारण मौतों की संख्या 5,15,355 थी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विशाखापट्टनम के टूरिज्म प्रोजेक्ट रुशिकोंडा हिल्स के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के एनजीटी के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 30 मई को सुनवाई करेगा।

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की।

GALLANTT

GALLANTT METAL LIMITED

Registered Office: "GALLANTT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Delhi - 110014, India.
Phone No.: +91-11-45048767; +91-33-46004831; Fax No.: +91-11-45048767
Website: www.gallantt.com Email Id: csgml@gallantt.com
CIN: L27109DL2005PLC350524

CORRIGENDUM TO EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING NOTICE

This is with reference to the earlier announcement - **Notice of the Extra-ordinary General Meeting dated May 10, 2022 scheduled to be held on June 04, 2022 (EGM)** sent to the shareholders of the Company for the purpose of seeking members approval by way of Ordinary Resolution for increase in Authorised Share Capital.

Consequent upon approval of the Scheme of Amalgamation of Gallantt Ispat Limited (GIL), AAR Commercial Company Limited (AAR), Hipoline Commerce Private Limited (Hipoline), Lexi Exports Private Limited (Lexi) and Richie Credit and Finance Private Limited (Richie) with Gallantt Metal Limited (GML/Transferee Company) and slump sale of power plant undertaking of GIL to GML (the **"Scheme"**) by the Honorable NCLT, Kolkata and Honorable NCLT, New Delhi and on filing of amalgamation order copy in Form INC-28 with the respective Registrar of Companies on November 05, 2021 and May 26, 2022 respectively, as per Clause 15.1 of the scheme, the Authorised Share Capital of the Transferor Companies amounting to Rs. 74,00,33,000/-(Rupees Seventy-Four Crores and Thirty-Three Thousand only) shall be added to the Authorised Share Capital of the Transferee Company. Present Authorised Share Capital of the Transferee Company is Rs. 83,00,00,000/- (Rupees Eighty-Three Crores only) and after addition of Authorised Share Capital of the Transferor Companies, the Authorised Share Capital of the Transferee Company stood at Rs. 157,00,33,000/- (One Hundred Fifty-Seven Crores and Thirty-Three Thousand only).

Now, Ordinary Resolution under Item No. 4 to the Notice of the EGM dated May 10, 2022 shall be construed accordingly and the Authorised Share Capital shall increase from Rs. 157,00,33,000/- (One Hundred Fifty-Seven Crores and Thirty-Three Thousand only) to Rs. 2,41,30,33,000 /- (Rupees Two Hundred Forty-One Crores Thirty Lacs and Thirty-Three Thousand only) divided into 24,13,03,300 (Twenty-Four Crores Thirteen Lacs Three Thousand and Three Hundred only) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten).

This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with Notice of the EGM sent to the Shareholders.

Corrigendum to the Notice of EGM is also available on the Company's website at www.gallantt.com and on the website of the Stock Exchanges where equity shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors
GALLANTT METAL LIMITED
Sd/-
Arnab Banerji
Company Secretary
M No. A59335

Date: 26th May, 2022
Place: New Delhi

AAR COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Registered Office: "GALLANTT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Delhi - 110014, India.
Phone No.: +91-11-41645392; +91-33-40078021; Fax No.: +91-11-41645392
Website: www.aarccl.com Email Id: investors.commercial@rediffmail.com
CIN: L63090DL1982PLC354818

In terms of Regulation 47 (1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that Board of Directors of Gallantt Ispat Limited, AAR Commercial Company Limited, Hipoline Commerce Private Limited, Lexi Exports Private Limited and Richie Credit & Finance Private Limited (the Transferor Companies) at their respective meetings held on 26th May, 2022, have fixed 7th June, 2022 as "Record Date" for the purpose of allotment of Shares by Gallantt Metal Limited to the shareholders of the Transferor Companies upon their amalgamation with Gallantt Metal Limited as per Scheme of Amalgamation approved by Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata and New Delhi Bench vide their Orders dated September 22, 2021 and May 20, 2022 respectively. In accordance with the Scheme, Gallantt Metal Limited will issue and allot to those shareholders of the Transferor Companies whose names would appear in the Register of Members on the above Record Date.

The notice contained in the notice is also available on the Company's website at www.gallantt.com and on the website of the Stock Exchanges where equity shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.cse-india.com.

For and on behalf of the Board of Directors
AAR COMMERCIAL COMPANY LIMITED
Sd/-
Anupam Khetan
Whole-time Director
DIN: 07003797

Date: 26th May, 2022
Place: New Delhi

सुंजवां आतंकवादी हमला मामला: एनआईए ने प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली ■ एजेंसियां/डेस्क

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने गत अप्रैल में जम्मू के बाहरी इलाके सुंजवां में हुए आतंकवादी हमले के मामले में प्रमुख आरोपी माने जाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को दी। आरोपी आबिद अहमद मीर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में पुत्रीगाम का रहने वाला है और वह प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का कथित ओवरग्राउंड वर्कर है।

प्रवक्ता के अनुसार एनआईए ने कहा कि मीर इस मामले में गिरफ्तार आरोपी बिलाल अहमद वागे का करीबी सहयोगी है। उन्होंने कहा कि मीर जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तान स्थित आकाओं के संपर्क में भी था।

उन्होंने ने कहा कि उसने जानबूझकर और स्वेच्छा से अन्य आरोपियों को तत्काल अपराध करने के लिए सहयोग दिया था। 22 अप्रैल को जम्मू में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे। यह मुठभेड़ तड़के एक चौकी पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जवानों के पाली बदलने के बाद उनके एक बस में सवार होने के बाद आतंकवादियों द्वारा हमला किये जाने के बाद हुआ था।

जिले के सुंजवां इलाके में चड्डा शिविर के पास पिकेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर आत्मघाती हमलावरों ने अपने हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी करने के साथ ही ग्रेनेड भी फेंके थे। उक्त स्थान के पास सेना का भी एक बड़ा प्रतिष्ठान भी स्थित है। यह आतंकवादी हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू क्षेत्र के सांबा के दौरे से दो दिन पहले हुआ था।

GALLANTT

GALLANTT ISPAT LIMITED

Registered Office: "GALLANTT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Delhi - 110014, India.
Phone No.: +91-11-41645392; +91-33-46004831; Fax No.: +91-11-41645392
Website: www.gallantt.com Email Id: nitesh@gallantt.com
CIN: L27109DL2005PLC350523

In terms of Regulation 47 (1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that Board of Directors of Gallantt Ispat Limited, AAR Commercial Company Limited, Hipoline Commerce Private Limited, Lexi Exports Private Limited and Richie Credit & Finance Private Limited (the Transferor Companies) at their respective meetings held on 26th May, 2022, have fixed 7th June, 2022 as "Record Date" for the purpose of allotment of Shares by Gallantt Metal Limited to the shareholders of the Transferor Companies upon their amalgamation with Gallantt Metal Limited as per Scheme of Amalgamation approved by Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata and New Delhi Bench vide their Orders dated September 22, 2021 and May 20, 2022 respectively. In accordance with the Scheme, Gallantt Metal Limited will issue and allot to those shareholders of the Transferor Companies whose names would appear in the Register of Members on the above Record Date.

The notice contained in the notice is also available on the Company's website at www.gallantt.com and on the website of the Stock Exchanges where equity shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The above is also available on the website of the Company www.gallantt.com

For GALLANTT ISPAT LIMITED
Sd/-
Nitesh Kumar
COMPANY SECRETARY
M. No. F7496

Place : New Delhi
Date : 26th May, 2022

Morning Glory Leasing and Finance Limited

CIN:L67120DL1984PLC018872 , Website: www.morninggloryleasing.in
Regd. Off: IRIS House, 16 Business Centre, Nangal Raya, New Delhi-110046.
Email Id: morninggloryleasing@gmail.com, Ph: 011- 4711 9100

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31, 2022 (₹ in lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		As on 31-03-2022	As on 31-03-2021	As on 31-03-2022	As on 31-03-2021
1	Total income from Operations	1.25	1.25	5.44	5.00
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax & Exceptional items)	0.27	(0.09)	1.52	0.26
3	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax after Exceptional items)	0.27	(0.09)	1.52	0.26
4	Net Profit /(Loss) for the period (after Tax after Exceptional items)	0.20	(0.07)	1.12	0.18
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit /(Loss) for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	145.64	16.15	276.68	144.03
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	24.90	24.90	24.90	24.90
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (For continuing and discontinued operations) (Not Annualised)				
	1. Basic	58.49	6.49	111.12	57.85
	2. Diluted	58.49	6.49	111.12	57.85

NOTE :

1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 26th May, 2022. The financial results for the Quarter and Year ended March 31, 2022 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company and the Statutory Auditors have expressed its unmodified audit opinion.
2. The above is an extract of the detailed format of quaterly/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the stock exchange website (URL-www.msei.in) and also on above mentioned Company's website at https://www.morninggloryleasing.in.
3. There is no change(s) in accounting policies which impact(s) on the net profit / loss and total comprehensive income or any other relevant financial item(s).
4. Exceptional items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.

For and on behalf of the Board of Directors of
Morning Glory Leasing & Finance Limited
Sd/-
Rajesh Bagri
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 26th May, 2022